

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप -6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

—: सेवानिवृत्ति आदेश :—

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:—शिविरा/मा/संस्था/बी-2/45002/सेवानिवृत्तियां/प्रधानाचार्य/2021-22/92-94 दिनांक 21.01.2021 द्वारा श्री जगदीश चन्द्र पण्डया प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, (OAD) ओड, डूंगरपुर (जन्मतिथि 03.01.1962, सेवानिवृत्ति तिथि 31.01.2022) के सेवानिवृत्ति आदेश प्रसारित किये गये थे। तत्समय इनके विरुद्ध सीसीए नियम-16 के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन थी। श्री जगदीश चन्द्र पण्डया के विरुद्ध जारी विचाराधीन विभागीय जांच प्रकरण समाप्त (DROP) हो चुका है।

अतः श्री जगदीश चन्द्र पण्डया प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओड, डूंगरपुर के संबंध में यह प्रमाणित किया जाता है कि, इनके विरुद्ध आज दिनांक तक—

- 01 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 02 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 03 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

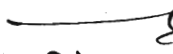

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :: शिविरा-मा/संस्था/बी-2/45002/सेवानिवृत्ति/प्रधानाचार्य/2021-22 दिनांक : 12/ 08 /2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- 01 सयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय उदयपुर।
- 02 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक, डूंगरपुर।
- 03 संबंधित सयुक्त-निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
- 04 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा डूंगरपुर।
- 05 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पाबन्द किया जाता है कि विभागीय आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/वि0जांच/11141/जे-25/2009/238-239 दिनांक 08.12.2015 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.20(15)शिक्षा-2/2016 दिनांक 09.05.2017 में प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना करते हुए वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करावे अन्यथा आप स्वयं व्यक्तिशः रूप से उत्तरदायी रहेंगे।
- 06 श्री जगदीश चन्द्र पण्डया, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ओड, डूंगरपुर।
- 07 रक्षित/निजी पत्रावली।


सयुक्त निदेशक (कार्मिक)